छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना अधिकार प्रकोष्ठ)
पंजी. क्रमांक 132
दिनांक 30.07.08

संख्या-1/8/2007-आई.आर.

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक: 08 नवम्बर, 2007

कार्यालय ज्ञापन

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना मांगने वालों के लिए दिशा-निर्देश।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि इस विभाग ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के लागू होने के तत्काल बाद इस अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में बार-बार पूछे गए कुछ प्रश्नों के उत्तर अपनी वेबसाइट (http://righttoinformation.gov.in) पर डाल दिये थे ताकि जो लोग सूचना के अधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं, इसका सुचारु ढंग से प्रयोग कर सकें। उसके बाद ऐसे कई मामले सामने आए जिनसे महसूस हुआ कि अधिनियम के कुछ प्रावधानों की व्याख्या करने की तथा आम आदमी द्वारा इसको प्रयोग की विधि को स्पष्ट करते हुए दिशा-निर्देश जारी करने की जरूरत है। तदनुसार, सूचना मांगने वालों के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं जिसकी एक प्रति संलग्न है। अनुरोध है कि इन दिशा-निर्देशों का व्यापक प्रचार किया जाए।

(कृष्ण गोपाल वर्मा)

निदेशक

टेलीफोन : 23092158

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. संघ लोक सेवा आयोग//लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/उप राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधानमंत्री कार्यालय/योजना आयोग।
3. कर्मचारी चयन आयोग, सी.जी.ओ. काम्पलैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली।
4. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय, 10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
5. केन्द्रीय सूचना आयोग/राज्य सूचना आयोग।

प्रतिलिपि : सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिव - अनुरोध है कि संलग्न दिशा-निर्देश क्षेत्रीय भाषा(ओं.) में अनूदित कराए जाएँ तथा इनका व्यापक प्रचार किया जाए। राज्य सरकारें अपने अंतर्गत आने वाले लोक प्राधिकारियों से सूचना प्राप्त करने के संबंध में भी इसी प्रकार के दिशा-निर्देश जारी करने पर विचार करें।